IS 15700:2005
सर्वोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
E-mail- circlehq.lko@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
SQMS

पत्र सं0– 77 / 4-15 / 29 दिनांक–17-01-17

सेवामें,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड–15,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

Receipt No. 90
File No. अनुबन्ध
20-1-17

विषयः– अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 में अल्प आय वर्ग (जी+3) बसेरा–2 के 16 नग भवनों के निर्माण हेतु अनुबन्ध सं0–23/एस.ई.(एच.क्यू.)/सी.डी.–15/2013–14 दिनांक 20.02.14 के अन्तर्गत कार्य कराने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–52/ए.सी.–13/03 दिनांक 11.01.17 के द्वारा अल्प आय वर्ग बसेरा–2 के प्रस्तावित 750 नग भवनों के सापेक्ष निर्माण से अवशेष 14 नग भवनों की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 में निर्माण किये जाने का प्रस्ताव अनुमति हेतु प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के पत्रांक–822/एस.ई.(एच.क्यू.)/197 दिनांक 25.02.16 द्वारा एक ब्लाक यानी 32 नग भवनों का निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है, जिसका आई.डी. कोड 095118 है, तथा मुख्यालय के पत्रांक–2723/एस.ई.(एच.क्यू.)/197 दिनांक 18.07.16 द्वारा रू0 184.88 लाख की तकनीकी स्वीकृति निर्गत है। प्रश्नगत 32 नग भवनों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण 32 नग भवनों का निर्माण नहीं किया जा सका तथा वर्तमान में भी 32 नग भवनों हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। बसेरा–2 के 750 नग पूर्व में आवंटित भवनों में से अवशेष 14 नग भवन की प्रतिपूर्ति हेतु 1/2 ब्लाक अर्थात् 16 नग भवनों का निर्माण सेक्टर–8 में बसेरा–2 प्रकार के निर्माणाधीन 128 नग भवनों के क्षेत्र में कराये जाने का प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि मै0 अलकनन्दा एसोसिएट्स ने अपने पत्र दिनांक 09.01.17 द्वारा अपने पूर्व गठित अनुबन्ध सं0–23/एस.ई.(एच.क्यू.)/सी.डी.–15/2013–14 दिनांक 20.02.14 के अधीन निर्माणाधीन 128 नग भवनों हेतु स्वीकृत (बी.ओ.क्यू. की दरों पर 26 प्रतिशत अधिक) दरों तथा अनुबन्ध की समस्त शर्तों के अनुसार किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है। अतः संदर्भित भवनों का निर्माण परिषद हित/लोकहित में इस अनुबन्ध के अन्तर्गत विचलन की स्वीकृति किया जाना यथोचित् होगा।

अतः मै0 अलकनन्दा एसोसिएट्स के प्राप्त लिखित सहमति दिनांक 09.01.17 के आधार पर 16 नग अल्प आय वर्ग (जी+3) प्रकार के भवनों का निर्माण कार्य आई.डी. कोड सं0–095118 के अधीन अनुबन्ध सं0–23/एस.ई.(एच.क्यू.)/सी.डी.–15/2013–14 दिनांक 20.02.14 की समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए विचलन कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

AE I/ ...
...

भवदीय
(सुनील चौधरी)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मै0 अलकनन्दा एसोसिएट्स, 3/103, विराज खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
5. सहायक अभियन्ता (तक0), मुख्यालय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को अनुबन्ध का भाग बनाते हुए संलग्न कराना सुनिश्चित करायें।

20/1/17

अधीक्षण अभियन्ता